सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 97/2012 **निर्णय दिनांकः—15.05.2018**

1. रामदेव उर्फ बुलाकीदास (मृतक)

1/1 राजेन्द्र कुमार आचार्य पुत्र रामेदव उर्फ बुलाकीदास खोलायत पुत्र सुरजकरण जाति ब्राहमण निवासी नत्थूरसर गेट, बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, बीकानेर।
2. हरिनारायण(मृतक)

2/1 अनन्तनारायण पुत्र हरनारायएण जाति पुरोहित निवासी मूंदड़ों का चौक, बीकानेर।

2/2 चेतन्य नारायण पुत्र हरनारायण जाति पुरोहित निवासी बेसिक इंग्लिश स्कूल नं. 3 के सामने नया शहर, बीकानेर।

2/3 बसंत नारायण पुत्र गणेशनारायण जाति पुरोहित (पुत्र स्व. श्री हरनारायण) निवासी नत्थूसर बास लोड़े मोड़े बगीची के पीछे, बीकानेर।

2/4 श्रीमती मधुबाला पत्नी दुर्गाशंकर किराडू (पुत्री स्व. श्री हरनारायण) निवासी पीरदान किराडू की गली साले की होली, बीकानेर।

2/5 श्रीमती सावित्री उर्फ बकिया पत्नी स्व. केशवनारायण (पुत्र स्व. श्री हरनारायण) निवासी लाली बाई बगीची के पास, मुरलीधर व्यास कॉलोनी रोड़, बीकानेर।

2/6 गिरीराज नारायण पुत्र केशवनारायण (पुत्र स्व. श्री हरनारायण) निवासी लाली बाई बगीची के पास, मुरलीधर व्यास कॉलोनी रोड़, बीकानेर।

2/7 प्रभा पत्नी अशोक कुमार पुत्री स्व. श्री हरनारायण जाति ब्राहमण निवासी आचार्यो का चौक, सुराणों का मौहल्ला, बीकानेर।

2/8 गंगादेवी पत्नी स्व. नारायणदास पुरोहित (पुत्र स्व. श्री हरनारायण) निवासी मूधंड़ा माता जी के मन्दिर के पास, बीकानेर।

2/9 अशोक कुमार पुत्र नारायणदास पुत्र स्व. श्री हरनारायण निवासी मूधंड़ा माता जी के मन्दिर के पास, बीकानेर।

2/10 रामनारायण (मृतक)

2/10/1 विजय लक्ष्मी पत्नी स्व. रामनारायण जाति पुरोहित ब्राहमण निवासी मूंधड़ा माताजी मन्दिर के पास, बीकानेर।

2/10/2	श्वेता	पुत्र, पुत्रियॉ स्व. रामनारायण नाबालिगान जरिये कुदरतीवाली माता विलयलक्ष्मी पत्नी स्व. रामनारायण ब्राहमण निवासी मूंधड़ा माताजी मन्दिर के पास, बीकानेर।
2/10/3	राजश्री	
2/10/3	जयनारायण	

2/11 सुरेश नारायण पुत्र नारायणदास पुत्र स्व. हरनारायण निवासी मूंधड़ा माताजी के मन्दिर के पास, बीकानेर।

2/12 राजकुमार पत्नी शिवकुमार (पत्नी स्व. श्री हरनारायण) जाति बिस्सा निवासी डागा बिस्सा चौक, बीकानेर।

2/13 संजू (पुष्पादेवी) पत्नी महेश कुमार बिस्सा (पुत्री स्व. श्री हरनारायण) निवासी डागा बिस्सा चौक, बीकानेर।

2/14 श्रीमती मंजू पत्नी नन्दकिशोर व्यास (पुत्री स्व. श्री हरनारायण) निवासी आंचलियॉ फलसा, भटड़ों का चौक, बीकानेर।

2/15 श्रीमती शारदा पुत्री स्व. नारायण पुरोहित पत्नी गौरीशंकर व्यास निवासी चम्पाबाई बगीची नया शहर, बीकानेर।

2/16 श्रीमती सुशीला पत्नी बृजरतन व्यास पुत्री स्व. श्री हरनारायण निवासी लाली बाई पार्क जीया भवन के पास, बीकानेर।(मृतक)

2/16/1 किशन पुत्र सुशीला पत्नी बृजरतन

2/16/2 इन्द्र कुमार पुत्र सुशीला पत्नी बृजरतन

2/16/3 मधु पुरोहित पुत्री स्व. सुशीला पत्नी लक्ष्मण पुरोहित निवासी रत्ताणी व्यासों का चौक, बीकानेर।

2/16/4 पुष्पादेवी पत्नी बलदेव व्यास पुत्र सुशीला देवी व्यास

3/1 गणेशदास पुत्र रमणलाल जाति आचार्य निवासी रोशनी घर के पास, हाल नत्थूसर गेट के अन्दर, फरसोलाई तलाई के पास, बीकानेर।

3/2 श्रीमती दुर्गा पत्नी शिवदास पुत्री स्व. रमणलाल जाति व्यास निवासी भटड़ों का चौक, बीकानेर।

3/3 श्रीमती सुशीला पत्नी बंशीलाल जाति पुरोहित निवासी हास्पिटल रोड, आदर्श कॉलोनी सब स्टेशन आरएसईबी के पास, बीकानेर।

3/4 श्यामा पत्नी मदनमोहन (पुत्री जयनारायण व स्वं पांचा) जाति आचार्य निवासी साले की होली, मूलचन्द लोहिया की कोटड़ी के पास, बीकानेर।

3/5 विजयलक्ष्मी पत्नी महेश कुमार व्यास (पुत्री जयनारायण व स्व. पांचा) जाति व्यास निवासी जस्सूसर गेट के बाहर, बीकानेर।

3/6 प्रेमरतन पुत्र जयनारायण जाति ब्राहमण निवासी जस्सूसर गेट के बाहर, बीकानेर।

3/7 नारायण पुत्र जयनारायण जाति ब्राहमण निवासी जस्सूसर गेट के बाहर, बीकानेर।

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11—06—2012
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः—
1. श्री विनोद पुरोहित, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री धन्ने सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11—06—2012 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से वादीगण/अपीलांट का वाद खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. (i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया ग्राम चकगर्बी के पुराने खसरा नम्बर 4 तादादी 185 बीघा 8 बिस्वा खातेदारी भूमि रही है। उक्त भूमि संवत् 1990 की हक मौरूसी व संवत् 2011 से 2014 की राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के दादा स्व. भतमाल, मेघराज व बक्सीराम के नाम रही है। बक्सीराम लाऔलाद फौत हो गया था तथा अपीलांट के असल पिता मेघराज थे जो अपने ताऊ जिनक कोई पुत्र व पुत्री नहीं होने के कारण खोले चले गये थे। अपीलांट के दादा भतमाल का स्वर्गवास हो चुका है। तब से अपीलांट की उपरोक्त मुतनाजा भूमि पर अपने दावा व पिता के स्वर्गवास के बाद निरन्तर काबिज काश्त है।

(ii) अपीलांट को जब राजस्व रिकार्ड में अपने पिता, दादा या स्वयं के नाम नहीं होकर प्रतिवादी हरनारायण के नाम होने की जानकारी प्राप्त हुई तो अपीलांट ने तहसीलदार से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती का निवेदन किया। अपीलांट को उक्त अनुतोष तहसीलदार से प्राप्त नहीं होने ते अपीलांट द्वारा दिनांक 07—04—1986 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस जारी किया गया तथा धारा 80 सीपीसी की मियाद गुजरने के उपरान्त अपीलांट द्वारा धारा 88, 92, 92ए आरटीएक्ट के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा गया कि अपीलांट वादगत् भूमि का तन्हा खातेदार काश्तकार है व इसकी धोषणा की जावे।

(iii) प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 हरिनारायण ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावे का जवाब दिनांक 17—07—1999 को प्रस्तुत किया तथा दावे के तमाम तथ्यों को नकारते हुए दावा खारिज करने व अपना काऊन्टर क्लेम कि उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे का अनुतोष चाहा गया। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दावे, जवाब दावे व काऊन्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात् कायम की गई। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत द्वारा कायम की गई तनकीयात् पर बहस की गई तथा अदालत मातहत के समक्ष अपने दावे को साबित किया गया फिर भी अदालत मातहत ने विधि विरूद्व तरीके से दावा खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है।

(iv)अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 1 जिसको साबित करने का भार वादी पर था का निर्णय गलत, विरूद्व साक्ष्य व रिकार्ड किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावे के आधार पर तनकी संख्या 1 कायम की गई कि आया वाद में मृतक सुरजकरण का वादी खोलायत पुत्र है तथा वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित वादी के दादा भतमाल व पिता सुरजकरण संवत् 2012 से 2015 तक बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थे तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त वादी बहैसियत कृषक काबिज होकर काश्त में चला आ रहा है, जिससे वादी को अपने खातेदारी काश्तकार धोषित कराने का अधिकारी है। अपीलांट ने अपने दावे के समर्थन में खोलानामा जोकि रजिस्टर्ड है। उक्त खोलानाम

गलत है अथवा नहीं इसके निर्णय का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय न्यायालय को प्राप्त है।

(v)अपीलांट ने यह दावा वर्ष 1986 में प्रस्तुत किया गया था तब से आज दिनांक तक उक्त खोलेनामें को निरस्त कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलांट ने अपने दावे के समर्थन में तमाम राजस्व दस्तावेज यथा जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, मिसल बन्दोबस्त आदि प्रस्तुत किये गये थे। उक्त तमाम राजस्व रिकार्ड से अपीलांट के दादा स्व. भतमाल रिकार्डेड खातेदार के रूप में अंकित है। भतमाल व उनके पुत्र यानि अपीलांट के पिता सुरजकरण का देहान्त हो चुका है ऐसी स्थिति में अपीलांट की तमाम भूमि का तन्हा खातेदार काश्तकार है। इस कारण वादीगण/अपीलांट का दावा डिक्री किये जाने योग्य था व है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 अपीलांट के पक्ष में की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकी अपीलांट के खिलाफ करने में कानूनी भूल कारित की है।

(vi) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि तनकी संख्या 1 व 2 कायम की गई कि प्रतिवादी संख्या 2 हरिनारायण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना गलत व अविधिवत है व आया कि अपीलांट प्रतिवादी संख्या 2 हरिनारायण का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के जरिये हटाकर अपना नाम बतौर खातेदार अंकित करवाने का अधिकारी है। उक्त तनकीयात को साबित करने का भार अपीलांट का था। उक्त तनकीयात् के संबंध में राजस्व रिकार्ड में हरनारायण पुत्र.....नाम खाली है जाति महाजन अंकित है। जिस पर बाद में जाति महाजन की जगह जाति ब्राहमण किया गया है तथा साकिन मुधड़ों का चौंक का अंकन है। आगे के कई दस्तावेजों में पिता की जगह कांट—छांट कर कहीं मुंधड़ों का चौक तथा कहीं पर दम्माणियों का चौक का अंकन है।

(vii) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि हरनारायण पुत्र हरदास कौम ब्राहमण को कभी भी उक्त भूमि का आवंटन नहीं हुआ है क्योंकि राजस्व

रिकार्ड में महाजन का अंकन है। इस प्रकार यदि कभी आवंटन हुआ भी है तो वह महाजन का था ना कि ब्राहमण को। प्रतिवादीगण द्वारा अमलामाल से मिलकर पिता के खाली जगह पर पहले हरदास का नाम लिख दिया बाद में जाति महाजन के स्थान पर जाति ब्राहमण का अंकन किया गया। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में छेड़छाड़ करते हुए व टेम्परिंग करते हुए राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने से किसी को राईट प्राप्त नहीं होते है।

(viii) प्रतिवादीगण हरनारायण सरकारी कर्मचारी थे जिनकी सेवानिवृति वर्ष 1967 में हुई थी। ऐसी स्थिति में हरनारायण के आवंटन की कहानी स्वमेव झूठी हो जाती है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कहीं भी आवंटन आदेश की नकल अथवा टीसी आवंटन की नकल प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को वादगत् भूमि का कभी आवंटन हुआ ही नहीं है। प्रतिवादीगण का नाम रिकार्ड में केवला टेम्परिंग करते हुए अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर तनकी संख्या 2 व 3 भी अपीलांट/वादीगण के पक्ष में तय की जानी चाहिए थी जिसे अपीलांट/वादीगण के विरूद्व निर्णित करने में अदालत मातहत द्वारा कानूनी भूल कारित की है।

(ix) प्रकरण में अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत तमाम दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से वादगत् भूमि पर अपीलांट/वादीगण का कब्जा काश्त साबित था। मिसल बन्दोबस्त, जमाबन्दी व खसरा गिरदावरियों में अपीलांट/वादीगण के दादा का नाम चला आ रहा है व वादगत् भूमि पर कब्जे के संबंध में अपीलांट द्वारा तमाम दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत तमाम राजस्व रिकार्ड की अनदेखी करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में कूननी भूल की है।

(x) वादगत् भूमि पर प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। जबकि मौके की वास्तविक स्थिति यह है कि दावा दायरी

के दिन से आज दिनांक तक मौके पर अपीलांट/वादीगण का कब्जा काश्त रहा है। प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादगत् भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण प्रकरण में चिर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के कब्जे काश्त के बाबत् कोई रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही मात्र प्रतिवादीगण के अभिकथनों पर विश्वास करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की है।

(xi) प्रकरण में यदि तत्समय वादगत् भूमि के बाबत् मौके की वास्तविक स्थिति प्राप्त की जाती तो अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के संबंध में सही स्थिति प्रकट हो जाती। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में निहित कानूनी प्रावधानों का उल्लंधन करते हुए वादीगण/अपीलांट के दावे को खारिज किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश व डिक्री निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरबीजे 2014 पेज 671, आरआरडी 2007 पेज 650 व सीसीसी 2001 पार्ट III पेज 279 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. **(a)** विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक दावा इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम चकगर्बी के पुराने खसरा नम्बर 4 तादादी 185 बीघा 8 बिस्वा भूमि अपीलांट के दादा भतमाल, मेघराज व बक्शीराम के नाम से रही है जो अब वादी/अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। परन्तु अब यह भूमि हरनारायण पुत्र हरदास पुरोहित बीकानेर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी/अपीलांट के नाम खातेदारी दी जावे। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 17—07—1999 को जवाब प्रस्तुत करते हुए दावे में अंकित तथ्यों को नकराते हुए अपना काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण को खातेदारी प्रदान की जावे। अपीलांट/वादीगण द्वारा उक्त काऊन्टर क्लेम का जवाब दिनांक 07—05—1998 को प्रस्तुत किया गया।

(b) उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में दावे/जवाबदावे/काऊन्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात् कायम की गई। अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 1 को कायम करते हुए उसे साबित करते का भार अपीलांट पर था। वादीगण की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि वादगत् भूमि प्रारम्भ में भतमाल, मेधराज, बंशीलाल पिसरान अरजनदास बहिस्सा बराबर 1 हिस्सा, बृजलाल पुत्र चुन्नीलाल 1 हिस्सा, मु. सीता बेवा मोतीलाल 1 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज थे। परन्तु उक्त भूमि इन्हीं रिकार्ड के मुताबिक हरनारायण ब्राहमण काश्तकार संवत् 2007 अंकित है तथा जमाबन्दी प्रदर्श 6 संवत् 2016 में भी हरनारायण का नाम अंकित है। उक्त राजस्व रिकार्ड से यह साबित है कि संवत् 2000 से पूर्व वादगत् भूमि का एक हिस्सा भतमाल वगैरा के नाम दर्ज था जो आदेश संख्या 8 संवत् 2000 में खारिज होकर संवत् 2007 में बतौर काश्तकार हरनारायण के नाम दर्ज चली आ रही है।

(c) वादीगण का कथन कि हरनारायण के पिता का नाम व जाति कुछ भी रिकार्ड में दर्ज नहीं है, इससे वादी को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है क्योंकि दावे में वादी खुद यह कह कर आया है कि यह भूमि हरनारायण पुत्र हरदास जाति ब्राहमण निवासी बीकानेर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसे दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी हरनारायण के अलावा दूसरा अन्य कोई हरनारायण हो ऐसा वादी नहीं कहता है। इसलिए अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकी को अपीलांट के खिलाफ साबित करने में कोई कानूनी भूल कारित नहीं की है।

(d) विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि तनकी संख्या 2 व 3 को साबित करने का भार अपीलांट पर था। उक्त दोनों तनकीयात् को अदालत मातहत ने वादी के खिलाफ सही रूप से तय की है क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार इस भूमि को आराजीराज आदेश संख्या 8 संवत् 2000 में कर दिया गया था तथा संवत् 2007 से प्रतिवादीगण हरनारायण बतौर काश्तकार दर्ज किया जाता रहा है। जिस समय वादगत् भूमि आराजीराज दर्ज किया गया था उस वक्त बीकानेर टीनेन्सी एक्ट 1945 लागू था। इस एक्ट की

धारा 24 के अनुसार किसी खातेदार का लगान तीन वर्ष से अधिक का बकाया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका नाम रिकार्ड से काट दिया जाता है।

(e) इसी कानून के अनुसार ही भूमि को आराजीराज करते हुए हरनारायण प्रतिवादी को काश्त हेतु दी थी। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा ही निरन्तर लगान भरा जा रहा है। जिसकी ताईद में प्रतिवादीगण द्वारा ढालबाछ, लगान की रसीदें, जमाबन्दी संवत् 2016, जमाबन्दी संवत् 2000, जमाबन्दी संवत् 2021—24, खसरा गिरदावारी संवत् 2011, खसरा गिरदावारी संवत् 2029—32, खसरा गिरदावरी संवत् 2015—18, खसरा गिरदावरी संवत् 2019—20 आदि प्रस्तुत किये गये। जिसके अनुसार वादगत् भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त साबित है। वादीगण का कभी भी वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादगत् भूमि पर पक्का कमरा बना हुआ है तथा खेत की तारबन्दी की हुई है। इसप्रकार अपीलांट/वादीगण का वादगत् भूमि के बाबत् न तो राजस्व रिकार्ड में अंकन रहा है व ना ही वादगत् भूमि पर अपीलांट/वादीगण का कभी कब्जा काश्त रहा है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों व रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए तनकी संख्या दो व तीन का निर्णय खिलाफ वादीगण करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है।

(f) उन्होनें आगे बताया कि इसी प्रकार तनकी संख्या 4 कि दावा वादी बाहर मियांद पेश किया गया है इस संबंध में उक्त तनकी को प्रतिवादी द्वारा साबित नहीं किया गया है परन्तु यह देखने योग्य है कि धारा 63 (iv) के तहत वादी के अधिकारों का अवसान 12 वर्ष के बाद स्वतः ही हो जाता है। इस आधार पर भी वादी का कब्जा नहीं होने एवं प्रतिवादी का संवत् 2007 से निरन्तर कब्जा होने से दावा मियांद बाहर है। इसी प्रकार तनकी संख्या 6 भी वादी के कब्जे काश्त के अभाव में दावा लाने का कानूनी अधिकार नहीं होने से खिलाफ वादी साबित है।

(g) विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि तनकी संख्या 7 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण

द्वारा राजस्व रिकार्ड यथा खसरा गिरदावारी, जमाबन्दी व ढालबाछ व लगान की रसीदों से साबित किया है कि वादगत् भूमि संवत् 2007 से आज दिनांक तक प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने की दिनांक को भी प्रतिवादीगण का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण कानूनन वादगत् भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

(h) अदालत मातहत ने यह कह कर कि नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 16—06—1976 एवं राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 18—11—2004 एवं अधिसूचना दिनांक 29—08—2007 के अनुसार खातेदारी के संबंध में राशि जमा कराई जानी आवश्यक है। परन्तु उल्लेखनीय है कि उक्त नियम व अधिसूचना 15—10—1955 के वक्त लागू नहीं थे। व बाद में जारी हुई जो प्रतिवादीगण पर लागू नहीं होती है। इसलिए अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण का काऊन्टर क्लेम खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज फरमाते हुए रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि खातेदार धोषित किया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1989 पेज 150, आरआरडी 1999 पेज 460, आरआरडी 1964 पेज 81 आरआरडी 1998 पेज 69 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट एवं 125, 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि ग्राम चकगर्बी की रोही खसरा नम्बर 4 तादादी 185 बीघा 8 बिस्वा भूमि के बाबत् प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट् द्वारा अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि ग्राम चकगर्बी की रोही के खसरा नम्बर 4 तादादी 185 बीघा 8 बिस्वा भूमि

अपीलांट/वादीगण की खातेदारी भूमि थी जो अपीलांट के दादा व पिता के पास बतौर खातेदार काश्तकार संवत् 2012 से 2015 तक चली आ रही थी। संवत् 2015 के बाद वादगत् भूमि हरनारायण पुत्र हरदास पुरोहित के नाम से गैर खातेदारी दर्ज कर दी गई। उक्त गैर खातेदारी हरनारायण के नाम बिना किसी समक्ष आदेश व मंजूरी के गैर कानूनी रूप से दर्ज की गई है। जिसे दुरूस्त करते हुए अपीलांट/वादीगण को वादगत् भूमि का वादगत् भूमि सवंत् 2015 से खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

(3) प्रकरण में प्रतिवादीगण का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि प्रतिवादीगण हरनारायण के कब्जे काश्त में संवत् 2007 से बदस्तूर चली आ रही है। वादगत् भूमि संवत् 2000 से ही आराजीराज रिकार्ड में अंकित है। प्रतिवादीगण संवत् 2012 मे व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने की दिनांक को विवादित भूमि के बतौर टीनेन्ट कब्जा काश्त रहे है। संवत् 2007 में रकम लगान प्रतिवादीगण द्वारा अदा की गई है। वादीगण न तो वादगत् भूमि का टीनेन्ट है ना ही वादीगण का राजस्व रिकार्ड में कोई नाम ही है नाही वादीगण का वादगत् भूमि पर कोई कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि के खातेदार टीनेन्ट होने से प्रतिवादीगण को वादगत् भूमि खातेदार टीनेन्ट धोषित किया जावे।

(4) हमने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व पत्रावली में उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जहॉ तक प्रकरण में गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व प्रतिवादीगण के जवाब दावे, काऊन्टर क्लेम व मूल दावे की आत्मा के पोषण के आधार पर नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई।

(5) अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत दावे में तनकी संख्या 1 कायम की गई कि आया वाद में मृतक सूरजकरण का वादी खोलायत पुत्र है तथा वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि पर वादी के दादा भतमाल व पिता सूरजकरण संवत् 2012 से 2015 तक बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थे तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त वादी बहैसियत कृषक काबिज

होकर काश्त में चला आ रहा है, जिससे वादी अपने आपको खातेदार काश्तकार धोषित कराने का अधिकारी है।

इस संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि वादगत् भूमि संवत् 2000 से पूर्व भतमाल वगैरा के नाम दर्ज थी जो आदेश संख्या 8 संवत् 2000 में खारिज होकर संवत् 2011 में हरनारायण के नाम बतौर काश्तकार संवत् 2007 में दर्ज हुई। तत्पश्चात् निरन्तर हरनारायण के नाम वादगत् भूमि गैर खातेदारी दर्ज रही है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रारम्भ में हरनारायण के पिता का नाम व जाति का अंकन नहीं था व संवत् 2012 में वादगत् भूमि हरनारायण के नाम दर्ज रही है व आज दिनांक तक हरनारायण के नाम गैर खातेदारी दर्ज है।

परन्तु यह तथ्य भी स्वीकार योग्य है कि अपीलांट के उक्त कथन से वादगत् भूमि पर उनके कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है क्योंकि संवत् 2000 में जो वादगत् भूमि अपीलांट/वादीगण के नाम दर्ज रही है वह आदेश संख्या 8 के माध्यम से खारिज होकर वादगत् भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज की जा चुकी थी। वादगत् भूमि के कब्जे काश्त के संबंध में भी अपीलांट/वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर अपीलांट/वादीगण का कभी कब्जा काश्त रहा हो। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 1 को अपीलांट/वादीगण के खिलाफ तय करने में कोई कानूनी भूल कारित नहीं की है।

(6) इसी प्रकार तनकी संख्या 2 व 3 को साबित करने का भार भी अपीलांट/वादीगण पर था। तनकी संख्या 2 आया प्रतिवादी संख्या 2 हरनारायण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना गलत व अनाधिकृत है व तनकी संख्या 3 आया वादी प्रतिवादी संख्या 2 हरनारायण का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के जरिये हटाकर अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने का हकदार है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जब अपीलांट/वादीगण दादा भतमाल वगैरा के नाम वादगत् भूमि संवत् 2000 में दर्ज थी जो

आदेश संख्या 8 संवत् 2000 में खारिज हो चुकी है तथा सवंत् 2011 में हरनारायण के नाम बतौर काश्तकार संवत् 2007 दर्ज चली आ रही है। अपीलांट/वादीगण द्वारा ऐसा कोई सबूत व साक्ष्य ना तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में अनाधिकृत रूप से हरनारायण के नाम दर्ज की गई हो। यदि ऐसा कोई आदेश है भी तो अपीलांट को उक्त आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में तत्समय ही चाराजोई करनी चाहिए थी। वादगत् भूमि रिकार्ड में हरनारायण के नाम सहवन से दर्ज होने के आधार पर अपीलांट/वादीगण दुरूस्ती करवा कर अपना नाम दर्ज करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि वादगत् भूमि संवत् 2000 में ही आदेश संख्या 8 के माध्यम से आराजीराज दर्ज की जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकीयात् वादीगण/अपीलांट के खिलाफ तय करने में कोई कानूनी भूल कारित नहीं की गई है।

(7) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 4 खिलाफ प्रतिवादी तनकी संख्या 5 बहक प्रतिवादीगण व तनकी 6 खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित करने में भी कोई कानूनी भूल कारित नहीं की है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में तनकी संख्या 7 कायम की गई कि आया प्रतिवादी संख्या 2 काऊन्टर क्लेम के जरिये अपने आपको भूमि मुतनाजा का खातेदार टीनेन्ट धोषित कराने का अधिकार है। इस संबंध में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि वादगत् भूमि सवंत् 2007 में हरनारायण को आवंटित हुई थी तथा तमाम राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादगत् भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज है।

इस संबंध में अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य भलींभांति साबित है तथा अदालत मातहत द्वारा **तनकी संख्या 1 का विवेचन करते हुए अभिलिखित किया है कि हरनारायण के पिता का नाम प्रारम्भ में अंकित नहीं है व जाति में भी रिकार्ड में अन्तर है।** ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को इस तथ्य की भलींभांति जॉच की जानी चाहिए थी क्या वास्तव में राजस्व

रिकार्ड में छेड़छाड़ व टेम्परिंग करते हुए प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में जोड़ा गया है। प्रतिवादीगण को किस आवंटन आदेश से वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है उक्त तथ्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। लिहाजा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण का काऊन्टर क्लेम खारिज किया जाना उचित समझते है।

(8) प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट का काऊन्टर क्लेम इस आधार पर भी खारिज किया गया है कि वादगत् भूमि नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 16–07–1976 के द्वारा ग्राम चकगर्बी बीकानेर के शहरी क्षेत्र में अधिसूचित है। जिसका मास्टर प्लान 1981 में स्वीकृत हो चुका है। राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 18–11–2004 एवं अधिसूचना दिनांक 29–08–2007 के द्वारा परिधिय क्षेत्र में खातेदारी हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति से नियत राशि जमा करवाने जाने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब राज्य सरकार द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि शहरी सीमा में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु नियमानुसार निर्धारित राशि जमा करवाते हुए खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को राज्य सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के मद्देनजर कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा न करते हुए जरिये काऊन्टर क्लेम वादगत् भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की गई है जो उपरोक्त परिपत्रों व अधिसूचना के अनुसरण में स्वीकार योग्य नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद व रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण का काऊन्टर क्लेम खारिज करने में कोई कानूनी भूल कारित नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत, तर्कसंगत व राजस्व रिकार्ड के अनुरूप होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर सहायक कलेक्टर, बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11—06—2012 यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय की एक प्रति जिला कलेक्टर, बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर